न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2022

दशरथ पुत्र रामपाल व.नि. निवासीगण सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सावर

—अप्रार्थी

उपस्थित:— श्री शिवप्रसाद पाराशर — वकील प्रार्थी

पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. टैनेन्सी एक्ट

आदेश

दिनांक 12.3.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई वकील वादी पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण मे उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार है

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टैनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया प्रार्थी की खातेदारी की आराजी जो कि ग्राम सावर तहसील केकड़ी जिला अजमेर कि जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 218 के खसरा संख्या 1096/923 रकबा 0.27है. व खसरा संख्या 1116/923 रकबा 0.25है. जो कि वाके ग्राम ऊँकारपुरा तहसील सावर स्थित जमाबंदी मे अंकन है प्रार्थी कि उक्त आराजी मे जाने आने हेतु आराजी खसरा नं. 923/1040 मे से 30 फीट का रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है आराजी खसरा नं. 923/1040 जो कि केकड़ी देवली अजमेर की मुख्य हाईवे सड़क से लगती है प्रार्थी व मुख्य सड़क के मध्य सिवायचक खसरा नं 923/1040 राजस्व मानचित्र मे अंकित है जो कि सिवायचक खाते मे दर्ज है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने की प्रार्थना प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे कि है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी द्वारा दिनांक 4.3.2022 को मौका रिपोर्ट मय नक्शा, नकल जमाबंदी, पेश किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को सिवायचक खसरा नं. 923/1040 मे से अपने आराजी खसरा नं. 1096/923 व खसरा नं. 1116/923 मे जाने आने हेतु रास्ता बाबत् उचित बताया है तथा रास्ता तरमीम के पश्चात् भी उक्त रास्ते मे आने वाली भूमि सरकारी सिवायचक खाते मे ही दर्ज रहेगी। प्रार्थी खसरा नं. 923/1040 मे से भूमि रास्ते मे जायगी उक्त भूमि का वर्तमान पंजीयन दर की दुगुनी दर से जो भी राशि बनेगी वह जमा कराने को तत्पर है जिसके कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नहीं है उक्त प्रार्थी की आराजी मे आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना अपनी रिपोर्ट मे दर्शाया गया हैं। उक्त प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार जिस खसरा नम्बरान 923/1040 मैं से 10 X 10 मीटर= 100 वर्गमीटर की वर्तमान डी.एल.सी. दर 750757 के अनुसार दुगनी राशि 15015रूपये बनती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:52:38 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया । प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1096/923 व खसरा नं. 1116/923 मे जाने आने हेतु आराजीयात के सबसे नजदीकी रास्ता सिवायचक भूमि के खसरा नम्बर 923/1040 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु आराजी नम्बर 923/1040 भूमि में 10 x 10 मीटर= 100 वर्गमीटर दर्गमीटर भूमि उपयोग में आ रही है। नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी स. 1 के आराजी खसरा नम्बर 167 भूमि में से 10 x 10 मीटर= 100 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आ रही है। ग्राम उंकारपुरा तहसील सावर जिला अजमेर कि हाल जमाबंदी 2074-2077 के खाता संख्या 218 के खसरा संख्या 1096/923 रकबा 0.27है. व खसरा संख्या 1116/923 रकबा 0.25है. जाने आने हेतु आराजी वर्तमान डी.एल.सी.दर 750757 प्रति है. अनुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि 15015 /- राशि प्रार्थीगण अप्रार्थी को भुगतान करने के पश्चात आराजी खसरा नम्बर 923/1040 में से 10x10=100 वर्ग.मी. भूमि को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु. रास्ते हेंतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सावर द्वारा प्रार्थीगण से उक्त 15015/- राशि प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थी को राशि जमा राजकोष में जमा करायी जाकर ग्राम उंकारपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1096/923 व 1116/923 में आने जाने के लिये रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 12.3.2022 को खुले न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सुनाया गया।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला-अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:52:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner